बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014– 845 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.02.2018

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत Point of Sale (PoS) यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण हेतु मार्गदर्शिका ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्त्तमान में पूर्विकत्ताप्राप्त एवं अन्त्योदय श्रेणी के परिवारों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों द्वारा Point of Sale (PoS) यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत Point of Sale (PoS) यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण निम्नवत् वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :–

1. **प्रणाली समाकलक (System Integrator) का चयन**

जन वितरण प्रणाली विक्रेता के स्तर (डीलर प्वांईट) पर खाद्यान्न वितरण हेतु Point of Sale यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख–रखाव करने के लिए प्रणाली समाकलक (System Integrator) का चयन निविदा के माध्यम से किया जा सकेगा। FPS Automation के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा Rental Model पर खाद्यान्न वितरण हेतु Point of Sale यंत्रों का क्रय, संस्थापन एवं रख–रखाव के लिए प्रणाली समाकलक (System Integrator) का चयन यथा पर्यवेक्षण, कार्यान्वयन तथा तकनीकी कार्य यथा Application Installation (Integration with central server, application development & customization etc. and related works) NIC के सहयोग से विभाग में स्थापित PMU के साथ Project Consultancy Firm द्वारा किया जायेगा।

2. **लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों में Point of Sale (PoS) यंत्र का अधिष्ठापन एवं संचालन**

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका –9 में निर्धारित मानदंडों के अधीन राज्य में लगभग 55,312 जन वितरण प्रणाली दुकानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्व वर्त्तमान में लगभग 41725 दुकानें कार्यरत है, शेष रिक्त दुकानों को अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः इस

प्रकार लगभग 55,312 दुकानों हेतु PoS यंत्र की आवश्यकता होगी । चयनित प्रणाली समाकलक के द्वारा Rental Model पर राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्न वितरण हेतु Point of Sale (PoS) का अधिष्ठापन, रख–रखाव तथा संचालन किया जायेगा एवं समय–समय पर उक्त अधिष्ठापित (PoS) यंत्रों का Technological updation (तकनीकी उन्नयन) किया जाएगा । साथ ही जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण हेतु प्रशिक्षण भी दिया जायेगा । सामान्यतः यह योजना अगले पाँच वर्ष तक लागू रहेगी। इस अवधि के पश्चात् प्रणाली समाकलक (System Integrator) द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित Point of Sale (PoS) यंत्र को चालू अवस्था में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को हस्तगत करा दिया जायेगा एवं समय–समय पर Technological updration (तकनीकी उन्नयन) भी करेगा।

3. **FPS Automation हेतु विभिन्न स्तरों पर दायित्वों का निर्वहन**

(i) **विभाग का दायित्व** :– (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न को लाभुकों के बीच जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा (PoS) यंत्रों के माध्यम से वितरण हेतु Rental Model पर Point of Sale यंत्रों का क्रय, संस्थापन एवं रख–रखाव के लिए प्रणाली समाकलक (System Integrator) का चयन के लिए Project Consultancy हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा सूचीबद्ध Consultancy firms में से एक की सेवा प्राप्त किया जाएगा एवं विभागीय पी.एम.यू. के माध्यम से प्रणाली समाकलक का चयन RFP/निविदा के द्वारा किया जाएगा एवं उक्त कार्य का अनुश्रवण, समन्वय एवं क्रियान्वयन PMU के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) जन वितरण प्रणाली स्तर (डीलर प्वाईंट) पर खाद्यान्न वितरण हेतु Point of Sale यंत्र का अधिष्ठापन, रख–रखाव, संचालन एवं खाद्यान्न का वितरण जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुज्ञापन पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा एवं समय–समय पर विभागीय PMU के माध्यम से उक्त का अनुश्रवण किया जाएगा।

(ग) (PoS) यंत्रों के माध्यम से वितरित खाद्यान्न का सत्यापित प्रतिवेदन का जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुज्ञापन पदाधिकारी से सत्यापनोपरांत प्रणाली समाकलक (System Integrator) को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(घ) प्रणाली समाकलक (System Integrator) द्वारा अधिष्ठापित Point of Sale यंत्रों के संचालन में ससमय तकनीकी सहयोग नहीं किये जाने की स्थिति में RFP एवं एकरारनामा में निर्धारित शर्त्तों के अनुसार उनके विपत्रों से राशि की कटौती एवं अन्य कार्रवाई PMU के माध्यम से की जायेगी।

(ii) **जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी (अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना सहित) का दायित्व** :– (क) जिला पदाधिकारी द्वारा अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ जिला स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा जो उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु Point of Sale यंत्रों के अधिष्ठापन, संचालन एवं खाद्यान्न का वितरण का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।

(ख) बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 के आलोक में जिलान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों पर अधिष्ठापित PoS यंत्रों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण का समय–समय पर निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(ग) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित समन्वय समिति में सम्बन्धित विभागों के पदाधिकारी के साथ अनुज्ञापन पदाधिकारी एवं बी.एस.एन.एल. के पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समन्वय समिति का दायित्व होगा कि जिलों के कम Network Connectivity वाले क्षेत्रों अर्थात् Shadow Area में Network Operator तथा प्रणाली समाकलक (System Integrator) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए FPS Automation के अन्तर्गत Point of Sale यंत्रों का समुचित संचलन किया जा सके।

(घ) अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुज्ञापन पदाधिकारी जिलान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों पर अधिष्ठापित PoS यंत्रों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं Point of Sale यंत्रों के माध्यम से वितरित खाद्यान्न से सम्बन्धित समेकित सत्यापित वितरण प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ड़) अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकारी की यह जबाबदेही होगी कि जिलावार प्राप्त वितरण प्रतिवेदन के आधार पर ही समेकित सत्यापित वितरण प्रतिवेदन तैयार कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) **अनुमंडल पदाधिकारी (अनुज्ञापन पदाधिकारी) का दायित्व** :– (क) अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल अन्तर्गत उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से स्वयं की देख–रेख में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से समन्वय स्थापित कर Point of Sale यंत्रों का अधिष्ठापन, संचालन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

(ख) अनमंडल पदाधिकारी Point of Sale यंत्रों के द्वारा वर्तमान माह के खाद्यान्न वितरण के आधार पर ही भंडारशेष को परिगणित कर अगले माह के खाद्यान्न का आवंटन करेंगे।

(ग) बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित अन्य कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(घ) PoS यंत्रों के माध्यम से वितरित खाद्यान्न का अनुमंडल स्तर पर प्राप्त PoS Transaction के संकलन का कार्य अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से स्वयं की देख–रेख में करायेंगे एवं सत्यापित समेकित प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ड़) अनुमंडल अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों पर अधिष्ठापित PoS यंत्रों के माध्यम से ससमय खाद्यान्न का वितरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सतत् निगरानी करेंगे।

(च) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपर्युक्त कार्यो में अनुज्ञापन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे एवं समरूप दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(iv) **पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का दायित्व** :– (क) प्रखंड स्तर पर पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्वयं

की देख–रेख में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर Point of Sale यंत्रों का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(ख) पणन पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा Point of Sale यंत्रों के माध्यम से वर्तमान माह के वितरित खाद्यान्न का समेकित प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अगले माह का आवंटन भंडार अवशेष के आधार पर किया जा सके।

(ग) जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान (डीलर प्वाईंट) पर अधिष्ठापित Point of Sale यंत्रों का रख–रखाव, संचालन एवं उक्त के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का अनुश्रवण समय–समय पर करेंगे एवं सम्बन्धित प्रतिवेदन अनुज्ञापन पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

(घ) प्रखंड स्तर पर PoS Transaction के संकलन का कार्य अपनी देख–रेख में करायेंगे एवं सम्बन्धित समेकित प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

(ड़) बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, ताकि खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच विहित रीति से सुनिश्चित की जा सके।

(v) **जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का दायित्व** :– (क) बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(ख) जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का दायित्व होगा कि वे Point of Sale यंत्र का अधिष्ठापन कराने में सहयोग करेंगे एवं संचालन करने के साथ इसके माध्यम से पात्र लाभुकों को खाद्यान्न वितरित करेंगे।

(ग) जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा प्रणाली समाकलक (System Integrator) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए Point of Sale यंत्रों का सुगमता पूर्वक संचालन किया जाय, ताकि आम लोगों को वितरण में कोई कठिनाई न हो।

(घ) जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित Point of Sale यंत्रों के सुरक्षा की पूर्ण जबाबदेही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की होगी तथा इसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में छेड़–छाड़ किये जाने पर इनके विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

(ड़) Point of Sale यंत्रों के संचलन में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अविलम्ब इसकी सूचना प्रणाली समाकलक (System Integrator) को देते हुए Point of Sale यंत्रों को ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vi) **प्रणाली समाकलक (System Integrator) का दायित्व** :–(क) प्रणाली समाकलक (System Integrator) द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में ससमय Point of Sale यंत्रों का अधिष्ठापन, रख–रखाव, संचलन एवं उक्त के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) प्रणाली समाकलक (System Integrator) द्वारा PMU के माध्यम से Supply Chain Management एवं FPS automation के साथ Integration करते हुए Point of Sale यंत्रों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को Point of Sale यंत्रों के संचालन एवं उसके माध्यम से खाद्यान्न वितरण हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण दिया

जायेगा एवं Point of Sale यंत्रों के Technogical Updation (तकनीकी उन्नयन) का कार्य किया जाएगा ।

(घ) जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित Point of Sale यंत्रों के संचलन में सिम द्वारा Connectivity उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ड़) जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा Point of Sale यंत्रों के संचलन में त्रुटि की शिकायत करने पर अविलम्ब उसका निदान सुनिश्चित करेंगे।

(च) राज्य में राशन कार्ड में शेष बचे पात्र लाभुकों के आधार संग्रहण एवं आधार सीडिंग का कार्य चयनित प्रणाली समाकलक (System Integrator) द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से किया जायेगा।

(छ) प्रणाली समाकलक (System Integrator) द्वारा सामान्यतः पाँच वर्षो के पश्चात् Point of Sale यंत्रों को चालू अवस्था में ही जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को हस्तगत किया जायेगा।

(ज) प्रणाली समाकलक (System Integrator) द्वारा Point of Sale यंत्रों के सफल संचालन के क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर एक Help Desk का गठन किया जायेगा तथा Point of Sale यंत्रों के त्रुटि निराकरण हेतु सम्यक एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11 / 2014– 845 खाद्य, पटना / दिनांक– 19.02.2018

प्रतिलिपि – विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11 / 2014– 845 खाद्य, पटना / दिनांक– 19.02.2018

प्रतिलिपि –प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, बेल्ट्रॉन भवन, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना / राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि0, बिहार / सहायक महानिदेशक, UIDAI, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11 / 2014– 845 खाद्य, पटना / दिनांक– 19.02.2018

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014– 845 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.02.2018

प्रतिलिपि –सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।